अति महत्वपूर्ण

सं0 ई. 11011/27/2018-हिन्दी/1351-1380

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांकः 31 अक्तूबर, 2019

कार्यालय आदेश

विषयः राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और नियम-5 के पूर्णतः अनुपालन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि दिनांक 23.09.2019 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 137वीं बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि कई क्षेत्रीय कार्यालय **धारा 3(3) तथा नियम-5 का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।** यह भी पाया गया कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही दिया जा रहा है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित कार्यालय अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में नहीं कर रहे हैं जिसके कारण हिंदी में मूल पत्राचार तथा हिंदी टिप्पण की प्रतिशतता काफी कम है। यह अत्यंत गंभीर विषय है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों को द्विभाषी रूप (हिंदी तथा अंग्रेजी) में ही जारी किया जाना तथा नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है। जारी किए गए जांच बिंदु के अनुसार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी इसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अपेक्षित या व्यवहारिक न हो उन पर हिंदी में अग्रेषण पत्र लगाकर भेजा जाना अपेक्षित होता है।

अतः सभी संबंधित अधिकारी राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों/आदेशों का पालन करते हुए केंद्रीय जल आयोग में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

31/10/2019

(अरूण कुमार सिन्हा)

अध्यक्ष,

केन्द्रीय जल आयोग

सभी अधिकारी/कर्मचारी (मुख्यालय)।

सभी मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय।

के.ज.आ. (मुख्या.)

हिन्दी अनुभाग

x x x

दिनांक: 06.11.2019

एम एन डी निदेशालय से अनुरोध है कि संलग्न पत्र को तत्काल के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड ~~किया~~ कराने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त

6/11/19

उप-निदेशक (राजभा.)

उप-निदेशक (डब्ल्यू एस ई)